



भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

Website: www.deptpub.gov.in

Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in

TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846

हिन्दी रूपान्तर

सं. 761/ओ.एण्ड एम./2014

दिनांक 09-3-2015


कार्यालय आदेश

विषय:- भारत के राजपत्र/दिल्ली राजपत्र में विज्ञापन/नोटिस के प्रकाशन के लिए दरों में संशोधन ।

सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि विज्ञापनों/नोटिसों के प्रकाशन की वर्तमान दरों में 01-4-2015 से वर्ष 2015-16 के लिए निम्नानुसार संशोधन किया गया है -

क्र.सं.	भारत के राजपत्र/दिल्ली राजपत्र के भाग/अनुभाग एवं विज्ञापन की किस्म	2015-16 के लिए संशोधित दर (रु. में)
1.	भारत का राजपत्र भाग-3 खण्ड-IV साप्ताहिक तथा असाधारण	प्रति पृष्ठ 4900/- रु. प्रति आधा पृष्ठ 3600/- रु. एकल कॉलम प्रति सें.मी. 250/-रु 10 सें.मी. तक न्यूनतम 2500/-रु मुख्य पृष्ठ के लिए
2.	भारत का राजपत्र भाग-IV	
(i)	नाम परिवर्तन की सूचना (वयस्क/बालिग)	1000/-रु. प्रति मामला
(ii)	नाम परिवर्तन की सूचना (नाबालिग)	1500/-रु. प्रति मामला
(iii)	सार्वजनिक सूचना	1250/-रु. प्रति मामला
(iv)	दत्तक ग्रहण सूचना	1500/-रु. प्रति मामला
(v)	खोने/नष्ट होने/चोरी होने संबंधी नोटिस	1700/-रु. प्रति मामला
		5000/- क्रमशः तीनों मामलों में
(vi)	कम्पनी नोटिस	पूरा पृष्ठ 4900/-रु. आधा पृष्ठ 3600/-रु. एकल कॉलम 250/-रु. प्रति सें.मी. 10 सें.मी. तक केवल मुख्य पृष्ठ हेतु 2500/-रु. न्यूनतम
(vii)	धर्म परिवर्तन	प्रति मामला 1500/-रु.
3.	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के नोटिस के लिए	
	(अ) उपर्युक्त मद 2(i) के लिए	3100/-
	(ब) उपर्युक्त मद 2(ii) के लिए	4500/-
		प्रति कालम 10 सें.मी. तक रु. 250/- प्रति सें.मी. मुख्य पृष्ठ के लिए न्यूनतम 2500/-रु.
4.	दिल्ली राजपत्र भाग-II खण्ड-II	4900/-रु. (प्रति पृष्ठ) 3600/-रु. प्रति आधा पृष्ठ 250/-रु. प्रत्येक अतिरिक्त सें.मी. एकल कॉलम 10 सें.मी. तक न्यूनतम 2500/-रु.

5.	दिल्ली राजपत्र भाग-III (साप्ताहिक)	प्रति पृष्ठ 4900/-रु. प्रति
		आधा पृष्ठ 3600/-रु. प्रति
		एकल कॉलम 250/-रु.प्रति सै.मी. 10 सै.मी. तक केवल मुख्य पृष्ठ हेतु 2500/-रु. न्यूनतम
6.	दिल्ली राजपत्र भाग-V खण्ड-II	प्रति पृष्ठ 4900/-रु. प्रति
		आधा पृष्ठ 3600/-रु.
		एकल कॉलम 250/-रु.प्रति सै.मी. 10 सै.मी. तक केवल मुख्य पृष्ठ हेतु 2500/-रु. न्यूनतम



(ए. के. सिंह)


सहा. नियंत्रक (वाणिज्य)

सेवा में,

1. सं. स. एवं प्र. नि. के वै. सहा.
2. वित्तीय अधिकारी के वै. सहा.
3. सहा. नि. (वा.) के वै. सहा.
4. विज्ञापन अनुभाग
5. इस विभाग के ई-राजपत्र अनुभाग को इस कार्यालय आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
6. नोटिस बोर्ड
7. गार्ड फाईल

प्रतिलिपि प्रेषित:-

निदेशक (पी एस पी) शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली को भारत के राजपत्र में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए संशोधित मार्गदर्शन निर्देश तथा आरूप के साथ ।



सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)